वहा पर अछूतो को उनके घर से उजाडा जा रहा है और बहनो की अस्मत लूटी जा रही है लेकिन सरकार इन बातो पर कोई ध्यान नही दे रही है। मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि आजादी के 24 सालो के बाद भी अछूत लोग मानवीय अधिकारो से वंचित है। मै आपसे निवेदन करना चाहता हू कि अगर इसी तरह की स्थिति चलेगी तो इस मुल्क मे बगावत होगी और उसको कोई रोक नही सकेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि सरकार इस बात की तरफ कोई ध्यान नही दे रही है। मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि सरकार इन बातो की छान-बीन कराये और यहा पर रिपोर्ट पेश करे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य उत्तेजित हो गए। उन्होने कल ही मुझ से कहा था कल शाम को मुझ लिख कर दिया और उस पर मैने कहा हो राजस्थान गवर्नमेंट को टेलीफोन से कहा है कि एक माननीय सदस्य से ऐसी खबर मिली है इस पर उनको फौरन उचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह कल ही की बात है।

श्री बी० पी मौर्य अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर होने वाली ऐट्रासिटीज के बारे मे कोई काल अटेंशन मोशन होता है तो आप स्वीकार नही करते। पहले भी स्वीकार नही किया। तो इसका फैसला हो जाना चाहिये शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की समस्या को लेकर जो कि बहुत भयंकर समस्याये है, उनके बारे मे काल अटेंशन क्या नही स्वीकार करते।

अध्यक्ष महोदय मैने हाउस को बताया जब कल लाये। कल कोई काल अटेंशन मोशन नही था। इन्होने कल शाम को 7 बजे दिया जब कि सारा बिजनेस तय हो चुका था।

श्री बी० पी० मौर्य मै मुजफ्फरनगर की मिसाल आपको देना चाहता हू। वहा पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर हुए अत्याचारो के बारे मे मैने काल अटेंशन मोशन दिया था और आपने कहा भी था कि उस पर विचार करेंगे लेकिन उस पर आपने कोई ध्यान नही दिया। सैकडो लोगो पर हुए अत्याचार का सवाल है लेकिन काल अटेंशन मोशन की ओर आपका ध्यान नही जाता।

अध्यक्ष महोदय आप कृपा कर बैठेंगे। काल अटेंशन है ही नही तो ध्यान किस पर दे।

SHRI B N REDDY (Miryalguda) Sir I have given notice of a calling attention on the atrocities committed on harijans, including ladies

MR SPEAKER I have not seen it It can be taken up only when it is allowed by me

---

12 32 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

NATIONAL WELFARE BOARD FOR SEA FARERS RULES

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act 1958 —

(1) The National Welfare Board for Sea-farers (Amendment) Rules, 1970 published in Notification No G S R 2055 in Gazette of India dated the 26th December, 1970

(2) The National Welfare Board for Sea farers (Amendment) Rules, 1971, published in Notification No G S R 621 in Gazette of India dated the 1st May 1971

[*Placed in Library* *See* No LT– 886/71]

REPORT OF CENTRAL INSTITUTE OF ENGLISH, HYDERABAD

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI K S RAMASWAMY) Sir, on behalf of Shri Siddhartha